

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प: उमरला

-:आदेश:- -183/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उमरला व भू.अ.नि. कालना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उमरला तहसील कालना व जिला बांसवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 285 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>उमरला</u> <u>कालना</u>	<u>285</u>	<u>डूगरराय</u>	<u>डूगरचन्द</u>

(पीठासीन अधिकारी)
(लोक अदालत)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प

क्रमांक :- 581/582

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पीठासीन अधिकारी)
(लोक अदालत)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प